फर्द अहकाम

न्यायालय जिला न्यायाधीश, झालावाड़ (राज.)

गिरीराज कंवर जैमिनी बनाम **सूरजबाई वगै.**

दीवानी वाद संख्या- 05/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.04.2026	वकुलाय फरीकेन उपस्थित है। बहस अंतिम सुनी गयी। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय वादिनी गिरीराजकंवर जैमिनी का यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण श्रीमती सूरजबाई वगैरह, वादग्रस्त मकान व दुकान जिसका विवरण वादपत्र की मद सं. 5 व 7 में अंकित किया गया है एवं नक्शा प्रदर्श–1 में मेहरून रंग से दर्शित मकान तथा नक्शा प्रदर्श –2 में पीले रंग से दर्शित दुकान, जो कि वादिनी के ससुर ब्रह्मदत्त के हिस्से में हैं, के विभाजन के संबंध में प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर उक्त मकान व दुकान में वादिनी गिरीराजकंवर जैमिनी का 1/3 तथा प्रतिवादी सं. 1 सूरजबाई का 1/3 एवं प्रतिवादी सं.2 अंशुमान कुमार का 1/3 हक व हिस्सा निर्णीत एवं घोषित किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में वादिनी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण सं.1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाता है कि जब तक वादग्रस्त उक्त मकान व दुकान का माप व सीमांकन के अनुसार विभाजन नहीं हो जाता, तब तक वे वादग्रस्त मकान व दुकान को विक्रय, अंतरित व भारित नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेंगे। तनुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आलोक सुरोलिया जिला न्यायाधीश झालावाड़ (राज.)	